

प्रेषण

सूर्योदय विद्यालय
संबंधीय विद्यालय
वरुण सूर्योदय विद्यालय ।

लेखा में,

सूर्योदय विद्यालय प्राप्ति
संबंधीय विद्यालय सूर्योदय विद्यालय ।

शिक्षा 17। अनुभाग

तिथि: दिनांक : 13. 7. 2023

विषय:-

सूर्योदय विद्यालय कारबाही के सौर्योदयीय विद्यालय के तंत्रज्ञान छात्र
प्राप्ति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने
का निर्देश हुआ है कि उक्त तदर्भित विद्यालय के नईदिल्ली ते
तंबद्रता हैं अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित
प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 11। विद्यालय की पंजीकृत सौकायटी का सम्य-समय पर नवीनीकरण कराया
जायेगा ।
- 12। विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सक सदस्य होगा ।
- 13। विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के
बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उपर्युक्त विद्यालयों में विभिन्न क्षाज्ञों के लिए निर्धारित शुल्क ते
अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 14। संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी
और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बैतिक शिक्षा
परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की तंबद्रता केन्द्रीय माध्यमिक
शिक्षा परिषद/कौंसिल फार डि इण्डियन स्कूल स्टीफिकेट इक्यामिनेशन
नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय
पारिषदों की संबद्रता प्राप्त होने की तिथि से उपर्युक्त माध्यमिक शिक्षा
परिषद द्वारा प्रत्ति मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान
स्वतः समाप्त हो जायेंगे ।

—2—

- १५। संस्था ऐक्षिक एवं शिक्षणीत्तर कर्मचारियों को राज्यीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुग्रन्थ वेतनमानों तथा अन्य भत्तों तैरे कर्मचारियों तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- १६। कर्मचारियों की सेवा मर्त्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुग्रन्थ सेवा निवृत्ति का नाम उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- १७। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- १८। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकालों में रखा जायेगा ।
- १९। उपत शतों में राज्य सरकार के पूर्वानुभौदन के बिना कोई प्ररिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।



उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की घूक या गिरिलास बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लै लिया जायेगा ।

भूमीय,



पूँजीय स्वं दिनांक त्वैव


प्रतिनिधि निम्नलिखित लों सूचनार्थ स्वं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,  ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक,  ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक,  ।
- 6- गार्ड द्वाक ।

आहा ते,



प्रमाणित वरुण
संस्कृत विद्यालय


Dr. Anupama Mishra
Principal
Sunbeam School Varuna
Varanasi-221002